ACM [illegible]

फर्द अहकाम

कन्यारी बनाम गोपाल

51/25 कृषि

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/2/25	पत्रावली पेश हुई। व.क. उप., पत्रावली सविन्ह आदेश .... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 6/3/25 को पेश हो।	
6/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने सावित्र आदेश की पालना में लिखित बहस पेश करने हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर आवश्यकरूप से पेश करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12/3/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	
12/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने भी लिखित बहस पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी-1 को मूलवाद के निस्तारण तक विवादित खातेदारी का बेचान नहीं करने एवं मौके एवं रिकॉर्ड में यथास्थिति के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surjan Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 04/2025 निर्णय दिनांक : 12.03.2025

बनवारी लाल पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र सेडया उर्फ सेडूराम.
2. राजेन्द्र पुत्र गोपाल
3. रामा देवी पुत्री गोपाल
4. प्रेम देवी पुत्री गोपाल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।
6. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयुपर ।

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम नांगलसिरस, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 108 के खसरा नम्बर . 303 रकबा 1.0600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 35 पुराना 190 के खसरा नम्बर 287 रकबा 0.4000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 288 रकबा 0. 3700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 295 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 116 पुराना 190 के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.2500 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज व अंकित हैं। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज [illegible] वादी का 1/5 हक व हिस्सा निहीत हैं । उक्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें [illegible] का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित हैं । प्रतिवादी नम्बर 1 वादी की उक्त भूमि को [illegible] व्यक्तियों से मिलकर वादी को उनके हक व अधिकारो से महरूम [illegible] के उद्देश्य सेखुर्द–बुर्द व बैचान करने पर उतारू हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हक व अधिकार की पैतृक भूमि में निहीत हिस्से को खुर्द बुर्द करता है तो वादी की ओर से उक्त वाद प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

करने का मकसद ही फौत हो जायेगा, तथा वादी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। 5. यह कि वर्तमान में उक्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित चली आ रही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू हो रहा हैं। जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आया तथा उन्हें भूमि दिखाने लगा, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ आये लोगों का कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि मैं उक्त भूमि को इनको विक्रय करूंगा। दिनांक 10/12/2024 को वादी वादअधीन कृषि भूमि पर काश्त कर रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ मौके पर आया और वादी के कब्जे – काश्त में मदाखलत एंव मजाहमत करने का असफल प्रयास किया और प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को एलानिया धमकी दी इसलिये दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। इसलिये वादी को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाकर प्रतिवादीगण को वॉछित निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 की ओर से प्रस्तुत जवाव/लिखित बहस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जमाबंदी में दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 1 सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि आराजियात का एकल स्वामी है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है व प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। यहां यह कहना सुसंगत होगा कि दिनांक 04.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा प्रतिवादी संख्या 2 व वादी के मध्य सहमति के आधार पर कर दिया था व बंटवारेनामे पर वादी ने बतौर पक्षकार हस्ताक्षर भी किये थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] बंटवारेनामे की अनुपालना में सहमति पत्र दिनांक 415/2019 निष्पादित किया था [illegible] वादी ने बंटवारे में अपनी सहमति प्रदान की थी। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की ओर से लिखित बहस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि उक्त भूमि प्रार्थी व मिन प्रतिवादी की पैतृक भूमि है जिसमें मिन प्रतिवादी 1/5 – 1/5 हक व हिस्सा निहित हैं, परन्तु यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बैचान करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बैचान कर देता है तो प्रार्थी के साथ मिन प्रतिवादी को

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

भी अपूर्तनीय क्षति होगी। इस कारण वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। दिनांक 1/12/2024 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कहा सुनी हुई थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने सम्पूर्ण भूमि को बैचान करने हेतु एलानियां धमकी दी थी। जिस पर उक्त घटना मिन अप्रार्थी को जानकारी होने पर मिन अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को समझाईश की तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने हेतु मिन अप्रार्थीगण को भी धमकी दी गई। यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बैचान कर देता है तो मिन प्रतिवादी को भी अपूर्तनीय क्षति होगी तथा मिन प्रतिवादी अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगें। इस कारण न्यायहित में उक्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाना आवश्यक हैं, तथा प्रार्थी के साथ साथ मिन प्रतिवादी को भी उसके हक व हिस्से 1/5 – 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हैं। यह कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई जिसमें मिन प्रतिवादी के बाई बर्थ हक व अधिकार निहित हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बैचान कर खुर्द बुर्द कर देता है तो मिन प्रतिवादी अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगें। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता से जरिये विरासत प्राप्त हुई है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्व–अर्जित ना होकर पैतृक भूमि है जिसको बैचान हस्तानतरण करने का हक व अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को नही हैं। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को बैचान करने पर आमादा हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने मनसूबो में सफल हो गये तो मिन प्रतिवादी को अपूर्तनीय क्षति होगी । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस, दस्तावेजात पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत फो[illegible]विरासत नामांतकरण, जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार उक्त [illegible] प्रतीत होती है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बैचान कर खुर्द बुर्द कर देता है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इस कारण वाद बाहुल्यता को रोकने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 को वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:28 IST
Reason: SelfAttested

पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि कृषि भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 108 के खसरा नम्बर 303 रकबा 1.0600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 35 पुराना 190 के खसरा नम्बर 287 रकबा 0.4000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 288 रकबा 0. 3700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 295 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 116 पुराना 190 के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगलसिरस भू.अभि. क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी का बेचान नहीं करे। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थित बनाये रखे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:28 IST
Reason: SelfAttested